तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2022	प्रार्थी श्री अवतार सिंह पुत्र बक्शीश उर्फ गुरबक्श सिंह जाति जटसिंख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 136 एल आर एक्ट पेश किया। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/12/22 को पेश हो।	
8/12/22	प्रार्थी / वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण मे रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त हो चुकी है। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू.अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 216/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एफ तहसील श्री करणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादी — **तारीख रजू:- 28.11.2022**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- **दिनांक : 08.12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 4/4, 18/17, 66/3, 71/18, 51/51, 70/57 में वादी स्वयं के नाम, वादी की माता निरंजन कौर के नाम से भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी के पिता का वास्तविक नाम बख्शीश सिंह था, वादी के पिता को गुरबक्श सिंह के नाम से भी जाना जाता था। वादी के पिता का दिनांक 18.06.2016 को देहांत हो चुका है। उक्त भूमि विरास्तन में वादी व उसकी माता को प्राप्त हुयी है, जिसके कारण कई खाता में बक्शीश सिह नाम अंकित है एवं कही जगह पर गुरबक्श सिंह नाम अंकित है। बख्शीश सिंह व गुरबक्श सिंह दोनो नाम वादी के पिता के ही है अन्य कोई व्यक्ति इस नाम का गांव में नहीं है। वादी उक्त वर्णित समस्त खातो में बख्शीश सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह अंकित करवाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। नाम के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुयी है। राजस्व अभिलेख में वादी के पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने पिता बख्शीश सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह के नाम की घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम चक 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार,श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम [illegible] एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत [illegible]75 ता 2078 के खाता संख्या 4/4, 18/17, 66/3, 71/18, 51/51, 70/57 में वादी का नाम अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह जाति जटसिख [illegible]वासी 24 एफ तहसील श्री करणपुर व वादी की माता का नाम निरंजन कौर पत्नी बख्शीश सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एफ तहसील श्री करणपुर के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कृषि भूमि घोषित किया जाकर, उपर्युक्तानुसार संशोधित करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर को आदेश दिया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5927 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 24 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 4, 18, 66, 51 में प्रार्थी के नाम व खाता संख्या 70, 71 में प्रार्थी की माता के नाम से जमाबन्दी में भूमि दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम कुछ खातो में गुरबक्श सिंह व कुछ में बख्शीश उर्फ गुरबक्श सिंह है। चक 24 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 18, 66, 51 में प्रार्थी का नाम अवतार सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह तथा खाता संख्या 71 में प्रार्थी की माता का नाम निरंजन कौर पत्नी गुरबक्श सिंह दर्ज है। जबकि खाता संख्या 4 में नाम अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह है व खाता संख्या 70 में निरंजन कौर पत्नी गुरबक्श सिंह उर्फ बख्शीश दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 4 तथा 70 में दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक खाता संख्या 18,66,51,70,71 में गुरबक्श सिंह के स्थान पर बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह शुद्ध किये जाने की अभिंशषा की जाती है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 4/4 की प्रति, चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 18/17 की प्रति, चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 66/3 की प्रति, चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/18 की प्रति, चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/51 की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड निरंजन कौर की प्रति, आधार कार्ड अवतार सिंह की प्रति, मूलनिवास बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह की प्रति, मूलनिवास अवतार सिंह की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 18/17, 66/3, 51/51 में अंकित नाम अवतार सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के स्थान पर अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह व खाता संख्या 71/18 में अंकित नाम निरंजन कौर पत्नी गुरबक्श सिंह के स्थान पर निरंजन कौर पत्नी बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड निरंजन कौर, आधार कार्ड अवतार सिंह, मूलनिवास बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह, मूलनिवास अवतार सिंह में वादी के पिता का नाम बख्शीश [illegible] है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 24 एफ के राजस्व [illegible] के [illegible] संख्या 4 तथा 70 में दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक खाता संख्या 18,66,51,70,71 में [illegible] सिंह के स्थान पर बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह शुद्ध किये जाने की [illegible] की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के द्वारा प्रमाणित किया [illegible] कि बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह पुत्र उतम सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम थे। जिसकी मृत्यू दिनांक 18.06.2016 है। वाद वादी तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रमाण पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला व वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 18/17, 66/3, 51/51 में अंकित नाम अवतार सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के स्थान पर अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह व खाता संख्या 71/18 में अंकित नाम निरंजन कौर पत्नी गुरबक्श सिंह के स्थान पर निरंजन कौर पत्नी बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
अवतार सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **216/2022**
निर्णय दिनांक :- **08.12.2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 24 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 18/17, 66/3, 51/51 में अंकित नाम अवतार सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के स्थान पर अवतार सिंह पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह व खाता संख्या 71/18 में अंकित नाम निरंजन कौर पत्नी गुरबक्श सिंह के स्थान पर निरंजन कौर पत्नी बख्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 08.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2022/539 दिनांकः 08.12.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested